प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के अधीन पदाभिहित

न्यायाधीश: माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

माध्यस्थम आवेदन क्रमांक 82/2013

आवेदक: पी.सी. जैन

बनाम

प्रत्यर्थीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

माध्यस्थम आवेदन क्रमांक 83/2013

आवेदक: पी.सी. जैन

बनाम

प्रत्यर्थीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माध्यस्थम आवेदन क्रमांक 84/2013

आवेदक: पी.सी. जैन

बनाम

प्रत्यर्थीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

माध्यस्थम आवेदन क्रमांक 85/2013

आवेदक: पी.सी. जैन

बनाम

प्रत्यर्थीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के अधीन आवेदन

सभी आवेदनों में अधिवक्ताओं की उपस्थिति:

श्री राहुल झा, आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता।

श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता, राज्य/अनावेदकगण की ओर से।

आदेश

(दिनांक 31/10/2013 को पारित)

1. यह आदेश माध्यस्थम आवेदन क्रमांक 82, 83, 84 और 85 के निराकरण को शासित करेगा क्योंकि सभी चारों आवेदनों में अंतर्वलित विधि का प्रश्न एक समान है। तथापि, सुविधा की दृष्टि से, माध्यस्थम आवेदन क्रमांक 82/2013 को मुख्य प्रकरण के रूप में लिया जा रहा है।

2. सभी चारों माध्यस्थम आवेदन आवेदक- पी.सी. जैन द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके पश्चात् 'अधिनियम, 1996') की धारा 11(6) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें आवेदक और अनावेदकगण के मध्य निष्पादित करार दिनांक 04/06/2011 के निबंधनों के अनुसार एक मध्यस्थ की नियुक्ति चाही गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तथ्य:

3. मुख्य प्रकरण अर्थात् माध्यस्थम आवेदन क्रमांक 82/2013 प्रस्तुत करने के आधारभूत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

3.1 04/06/2011 को, अनावेदकगण ने कार्यादेश जारी किया और पक्षकारों के मध्य करार क्रमांक 25/डी एल/2011-12 निष्पादित किया गया और तत्पश्चात्, आदेश दिनांक 28/02/2012 के माध्यम से यह कथन करते हुए करार का पर्यवसान कर दिया गया कि आवेदक निर्धारित पूर्णता तिथि तक कार्य पूर्ण करने में विफल रहा है।

3.2 संविदा पर्यवसान के आदेश से व्यथित होकर, आवेदक ने इसे करार के खंड 29 के अधीन अधीक्षण अभियंता के समक्ष दिनांक 31/03/2012 (अनुलग्नक- क/5) को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29/03/2012 के माध्यम से चुनौती दी, जिसमें संविदा पर्यवसान की कार्रवाई का विवाद उठाया गया और विवाद के निपटारे एवं भुगतान हेतु परिमाणित दावा किया । जब करार के खंड 29 के अनुसार आवेदक को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तो उसने पुनः पत्र दिनांक 27/06/2012

(अनुलग्नक- क/6) के माध्यम से मुख्य अभियंता के समक्ष अपील प्रस्तुत की । करार के अधीन दोनों प्राधिकारी विवाद का विनिश्चय करने और उसे निराकृत करने में विफल रहे, अतः आवेदक ने विवाद के निराकरण हेतु करार के प्रावधानों के अनुसार माध्यस्थम बोर्ड के गठन हेतु पत्र दिनांक 11/10/2012 (अनुलग्नक- क/7) के माध्यम से करार के खंड 29 के अनुसार मामला राज्य सरकार को संदर्भित किया। (अनुलग्नक- क/7) , परंतु न तो बोर्ड का गठन किया गया और न ही विवाद का निराकरण हुआ।

3.3 यह आगे अभिवचन किया गया कि चूंकि अनावेदकगण द्वारा नलकूप खनन का कार्य आवेदक को सौंपा गया था, जो छत्तीसगढ़ माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 (संक्षेप में "अधिनियम, 1983") की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (स) के अधीन यथा परिभाषित संकर्म-संविदा की परिधि में नहीं आता है।

3.4 राज्य/अनावेदकगण को दिनांक 21/10/2013 को नोटिस जारी किए गए और उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। 29/10/2013 को, राज्य/अनावेदकगण की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान उप महाधिवक्ता श्री विनय हरित ने यह निवेदन किया कि राज्य उत्तर प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं कर रहा है और वे अपना निवेदन प्रस्तुत करेंगे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधिवक्तागण के कथन: -

4. आवेदक की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल झा ने यह निवेदन किया कि आवेदक ने करार के खंड 29 के अनुसार सर्वप्रथम 31/03/2012 को अधीक्षण अभियंता के समक्ष (अनुलग्नक- क/5), तत्पश्चात् 27/06/2012 को मुख्य अभियंता के समक्ष (अनुलग्नक- क/6) विवाद उठाया था, और अंततः, जब दोनों पक्षकार विवाद का निराकरण करने में विफल रहे, तो उन्होंने पत्र दिनांक 11/10/2012 के माध्यम से माध्यस्थम बोर्ड (अनुलग्नक- क/7) के गठन हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया। जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उनके पास अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था । उन्हें आगे यह तर्क किया कि खंड 29 के अधीन, पक्षकारों के मध्य एक करार निष्पादित किया गया था, जिसमें, वह संविदा का पक्षकार थे और पक्षकारों के मध्य विधिमान्य एवं प्रवर्तनीय करार है। एक मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़

उच्च न्यायालय समुचित उच्च न्यायालय है। अंत में उन्होंने यह तर्क किया कि नलकूपों का खनन संकर्म संविदा के करार की विषय-वस्तु नहीं है, इसलिए विवाद को सुलझाने हेतु एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाए।

5. इसके विपरीत, अनावेदकगण/राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान उप महाधिवक्ता श्री विनय हरित यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु मामला बनाने में विफल रहा है और आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि नलकूप खनन अधिनियम, 1983 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (i) के अर्थांतर्गत संकर्म-संविदा है और इसलिए, प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं है और इसे ख़ारिज किया जाए।

6. मैंने परस्पर विरोधी तर्कों निवेदनों को सुना है और उन पर विचार किया है तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अवधारण हेतु बिंदु:

7. पक्षकारों द्वारा किए गए अभिवचनों और निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, विचारार्थ निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैं:

(i) क्या नलकूप खनन छत्तीसगढ़ माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (i) के अर्थांतर्गत संकर्म-संविदा है, जो छत्तीसगढ़ माध्यस्थम् अधिकरण, 1983 द्वारा संज्ञेय है?

(ii) यदि नहीं, तो क्या आवेदक माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति का हकदार है?

बिंदु क्रमांक (i) का उत्तर:

8. अधिनियम, 1983 की धारा 2(1)(i) में प्रयुक्त "संकर्म-संविदा" का एक सीमित और विशेष अर्थ है, क्योंकि यह अधिनियम के निर्वचन खंडों में से एक में स्पष्ट रूप से परिभाषित है। यह किसी की भी दृष्टि से नहीं बच सकता कि यह अधिनियम एक राज्य अधिनियमन है। इसका एक सीमित दायरा है। जैसा कि अधिनियम की उद्देशिका स्वयं यह स्पष्ट करती है कि यह अधिनियम उन विवादों में माध्यस्थम करने हेतु एक अधिकरण की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है

जिसमें राज्य सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण या सारभूत रूप से स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन कोई सार्वजनिक उपक्रम एक पक्षकार है, और उससे आनुषंगिक या उससे संबंधित मामलों के लिए है। यहां तक कि सभी प्रकार की 'संकर्म-संविदाएं' जिनमें राज्य सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण या मुख्य स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन कोई सार्वजनिक उपक्रम पक्षकार है, वे इस अधिकरण की अधिकारिता की विषय-वस्तु नहीं हैं। 'संकर्म-संविदा' की परिभाषा इस प्रकार रची गई है कि अभिव्यक्ति के भीतर केवल कुछ प्रकार की 'संकर्म-संविदाओं' को सम्मिलित किया जाए, इस प्रावधान के साथ कि अधिसूचना द्वारा अधिक संकर्मों को परिभाषा की परिधि में लाया जा सकता है। यहां अधिनियम, 1983 की धारा 2(1) के खंड (i) में दी गई 'संकर्म-संविदा' की परिभाषा को पुण:उद्दत करना उचित है। यह इस प्रकार है:-

“2 (1) (i) "संकर्म-संविदा" से अभिप्रेत है किसी भवन या अधिरचना, बांध, वियर, नहर, जलाशय, टैंक, झील, सड़क, कुआँ, पुल, पुलिया, कारखाना, कार्यशाला, बिजली-घर, ट्रांसफार्मर या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम के ऐसे अन्य संकर्मों के निर्माण, मरम्मत या रखरखाव से संबंधित किसी संकर्म के निष्पादन हेतु लिखित में कोई करार जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त किसी भी प्रक्रम पर विनिर्दिष्ट करे, जो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम के किसी अधिकारी द्वारा या ऐसे सार्वजनिक उपक्रम के लिए और उसकी ओर से उसके अधिकारी द्वारा निष्पादित किया गया हो और इसमें माल या सामग्री की आपूर्ति के लिए एक करार और उक्त किसी भी संकर्म के निष्पादन से संबंधित अन्य सभी मामले सम्मिलित हैं।”

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. यह देखा जाएगा कि उपरोक्त परिभाषा में 'अभिप्रेत है' और 'सम्मिलित है' दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय **महा लक्ष्मी ऑयल मिल्स बनाम स्टेट ऑफ ए.पी.**[1] में यह अवधारित किया है कि जहाँ कोई परिभाषा दो पृथक भागों से मिलकर बनती है, जो यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि अभिव्यक्ति से क्या 'अभिप्रेत है' और उसमें क्या 'सम्मिलित है', तो वह परिभाषा सर्वांगीण मानी जाती है। यह आगे ध्यान देने योग्य है कि जब किसी परिभाषा में 'सम्मिलित है' शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यह सामान्यतः परिभाषा के दायरे को विस्तृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है और जब इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, तो परिभाषा का अर्थ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि इसमें न केवल वे चीजें सम्मिलित हों जो इसके स्वाभाविक अर्थ के अनुसार इसके अंतर्गत आती हैं, बल्कि वे चीजें भी सम्मिलित हों जिनके बारे में समावेशी खंड यह घोषित करता है कि वे उनमें सम्मिलित होंगी।

[1] ए आई आर एस.सी. 335

10. उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण पर, यह देखा जाएगा कि कुछ संकर्मों को विशेष रूप से 'संकर्म-संविदा' की परिभाषा के अंतर्गत आने के रूप में वर्णित किया गया है। वे विशेष संकर्म हैं: (i) भवन या अधिरचना, (ii) बांध, (iii) वियर, (iv) नहर, (v) जलाशय, (vi) टैंक, (vii) झील, (viii) सड़क, (ix) कुआँ, (x) पुल, (xi) पुलिया, (xii) कारखाना, (xiii) कार्यशाला, (xiv) बिजली-घर और (xv) ट्रांसफार्मर। विशेष संकर्मों के वर्णन के पश्चात्, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम के ऐसे अन्य संकर्मों का सामान्य संदर्भ है, जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विशेष रूप से उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। इस प्रकार, कोई भी संकर्म जो परिभाषा में वर्णित किसी भी विशेष संकर्म के अंतर्गत नहीं आता है, वह भी परिभाषा के अंतर्गत आ सकता है, यदि संकर्म राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम का है और राज्य सरकार उसे अधिसूचित करती है। समावेशी खंड एक आपूर्ति-संविदा को भी परिभाषा की परिधि में लाता है, इस परिसीमा के साथ कि यह मुख्य खंड में विनिर्दिष्ट संकर्मों में से किसी के निष्पादन के संबंध में होना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि संकर्म-संविदा की परिभाषा में, नलकूप खनन "संकर्म-संविदा" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। मध्य प्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण, भोपाल की पूर्ण पीठ ने **गणेशमल के. जडवानी, रायपुर बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य**[2] में दिए गए एक निर्णय में अपने आदेश दिनांक 06/07/1995 द्वारा यह नोट किया है कि नलकूप खनन सहित अन्य संकर्म, संकर्म-संविदा में सम्मिलित नहीं हैं और राज्य सरकार को उन संकर्मों को "संकर्म-संविदा" की परिभाषा में लाने का सुझाव दिया और यह अभिनिर्धारित किया:

> "14. ऐसा प्रतीत होता है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (जो एक मुख्य विभाग है) के कार्य जैसे, इनटेक वेल, पंप हाउस, आर.सी.सी. टैंक राइजिंग मेन, ट्रीटमेंट प्लांट (जल और अपशिष्ट जल) वितरण प्रणाली, भूमिगत सीवरेज प्रणाली, खुली नालियां, सेप्टिक टैंक, ऑक्सीडेशन पोंड, नलकूप खनन, विद्युत सब-सेक्शन आदि को परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले 10 वर्षों में कार्य परिदृश्य में काफी बदलाव आया है और ग्रामीण विकास, कृषि, वन, मत्स्य पालन आदि विभाग और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अधिक निर्माण गतिविधियां की जा रही हैं। सरकार को स्थिति की समीक्षा करने की सलाह दी जा सकती है और 'संकर्म-संविदा' की परिभाषा को अधिसूचना

[2] 1995 ए टी एल आर 501

द्वारा उपयुक्त रूप से विस्तारित किया जा सकता है ताकि जिस उद्देश्य के लिए इस अधिकरण का सृजन किया गया है वह पूरी तरह से पूरा हो सके। हम निर्देश देते हैं कि इस आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल, और मुख्य सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल को प्रेषित की जाए, ताकि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर सकें।"

12. मध्य प्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा जारी निर्देश/आदेश के अनुपालन में, राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 04/11/1996 द्वारा 'संकर्म-संविदा' की परिभाषा को संशोधित किया है और संकर्म-संविदा की सूची में केवल जल आपूर्ति के निर्माण, मरम्मत या रखरखाव के कार्य को सम्मिलित किया है, लेकिन नलकूप खनन को अधिनियम, 1983 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (i) के अर्थ में सम्मिलित नहीं किया है।

13. इस प्रकार, नलकूप खनन अधिनियम, 1983 की धारा 2(1)(i) के अर्थांतर्गत संकर्म-संविदा नहीं है। इस न्यायालय द्वारा माध्यस्थम आवेदन क्रमांक 31/2012 (पी.सी. जैन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में भी ऐसा ही अभिनिर्धारित किया गया है, इस प्रकार, इस बिंदु का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बिंदु क्रमांक (ii) का उत्तर:

14. पूर्ववर्ती कंडिकाओं में यह पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि नलकूप खनन अधिनियम, 1983 की धारा 2(1)(i) के अर्थांतर्गत 'संकर्म-संविदा' नहीं है, इसलिए, किसी भी विवाद के मामले में, पक्षकारों के मध्य निष्पादित करार के खंड 29 के अनुसार उसे संदर्भित किया जाना आवश्यक है। इसका खंड 29 इस प्रकार प्रावधान करता है:

"खंड 29- इस संविदा में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, इसमें पूर्वोक्त रूप से उल्लिखित विनिर्देशों, डिज़ाइनों, रेखांकनों और निर्देशों के अर्थ से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद तथा संकर्मों से संबंधित संविदा डिज़ाइनों, रेखांकनों, विनिर्देशों, प्राक्कलनों या उसके निष्पादन या निष्पादन में विफलता से किसी भी प्रकार से उत्पन्न या संबंधित किसी भी विषय के बारे में, चाहे कार्य की प्रगति के दौरान उत्पन्न हुआ हो या उसके पूर्ण होने या उसके परित्याग के पश्चात्, ऐसे घटित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर उनके विनिश्चय के लिए अधीक्षण अभियंता को लिखित रूप में संदर्भित किए जाएंगे। तदुपरान्त अधीक्षण अभियंता ऐसे

अनुरोध के 60 दिनों की अवधि के भीतर अपने लिखित निर्देश और/या विनिश्चय देंगे। इस अवधि को पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकता है। लिखित निर्देश या विनिश्चय प्राप्त होने पर पक्षकार बिना किसी विलंब के ऐसे निर्देशों या विनिश्चयों का अनुपालन करने के लिए तत्परता से आगे बढ़ेंगे, यदि अधीक्षण अभियंता अनुरोध किए जाने के पश्चात् 60 दिनों की अवधि या पारस्परिक रूप से सहमत समय के भीतर लिखित रूप में अपने निर्देश देने में विफल रहते हैं, यदि पक्षकार अधीक्षण अभियंता के विनिश्चय से व्यथित हैं, तो पक्षकार 30 दिनों के भीतर मुख्य अभियंता को अपील प्रस्तुत कर सकते हैं जो पक्षकारों को सुने जाने का और अपनी अपील के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगे। मुख्य अभियंता 90 दिनों के भीतर अपना विनिश्चय देंगे। यदि कोई पक्षकार मुख्य अभियंता के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसे विवादों को राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले माध्यस्थम बोर्ड द्वारा माध्यस्थम के लिए संदर्भित कर सकता है, जिसमें तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक विभाग से संबंधित अधीक्षण अभियंता की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी में से चुना जाएगा, किसी भी तकनीकी विभाग का एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता और किसी अन्य तकनीकी विभाग से संबंधित अधीक्षण अभियंता की पंक्ति से अनिम्न एक सेवारत अधिकारी होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इस संविदा की शर्तें निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:-

(क) सरकार द्वारा गठित पूर्वोक्त माध्यस्थम बोर्ड (सभी तकनीकी विभागों के प्रकरणों के देखरेख के लिए) के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारण से ऐसा संभव नहीं है, तो मामला माध्यस्थम के लिए बिल्कुल भी संदर्भित नहीं किया जाएगा।

(ख) राज्य सरकार किसी भी समय बोर्ड के कार्मिकों में कोई भी परिवर्तन कर सकती है, और माध्यस्थम बोर्ड में नियुक्त नए सदस्य या सदस्य उस प्रक्रम से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने के हकदार होंगे, जिस प्रक्रम पर इसे उनके पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ा गया था।

(ग) माध्यस्थम का आह्वान करने वाला पक्षकार इस खंड के अधीन माध्यस्थम के लिए संदर्भित किए जाने वाले विवाद या विवादों को ऐसे प्रत्येक विवाद(विवादों) के संबंध में दावा की गई राशि या राशियों के साथ विनिर्दिष्ट करेगा।

(घ) जहाँ माध्यस्थम का आह्वान करने वाला पक्षकार ठेकेदार है, वहाँ माध्यस्थम के लिए कोई भी संदर्भ तब तक पोषणीय नहीं होगा, जब तक कि ठेकेदार नीचे दी गई तालिका के अनुसार अवधारित राशि की प्रतिभूति जमा प्रस्तुत नहीं करता है, और इस प्रकार जमा की गई राशि माध्यस्थम कार्यवाहियों के अवधारण पर पक्षकार के विरुद्ध बोर्ड द्वारा अधिनिर्णीत लागत (यदि कोई हो) के विरुद्ध समायोजित की जाएगी और ऐसे समायोजन के पश्चात् शेष बची राशि या ऐसी लागत अधिनिर्णीत न होने की स्थिति में, संपूर्ण राशि अधिनिर्णय की तिथि से एक माह के भीतर उसे वापस कर दी जाएगी।

दावे की राशि = प्रतिभूति जमा की दर

-10,000 से कम के दावे के लिए = दावा की गई राशि का 5%

- 10,000 और उससे अधिक लेकिन 1,00,000 से कम के दावों के लिए = दावा की गई राशि का 3% जो न्यूनतम के अधीन होगा
- 1,00,000 और उससे अधिक के दावों के लिए = दावा की गई राशि का 2% जो न्यूनतम 3,000 के अधीन होगा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(ड) यदि ठेकेदार कार्यपालन अभियंता से यह सूचना प्राप्त होने पर कि अंतिम देयक भुगतान के लिए तैयार है, 90 दिनों के भीतर लिखित में किसी भी दावे(दावों) के संबंध में माध्यस्थम के लिए कोई मांग नहीं करता है, तो ठेकेदार का दावा त्यक्त और पूर्णतः वर्जित माना जाएगा और सरकार ऐसे दावों के संबंध में संविदा के अधीन सभी दायित्वों से उन्मोचित या मुक्त हो जाएगी।

(च) माध्यस्थम बोर्ड समय-समय पर पक्षकारों की सहमति से अधिनिर्णय देने का समय बढ़ा सकता है।

(छ) माध्यस्थम बोर्ड को किया गया संदर्भ ठेकेदार की ओर से समय पर कार्य जारी न रखने का कोई आधार नहीं होगा और करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा भुगतान जारी रखा जाएगा।

(ज) जहां इस संविदा में अन्यथा उपबंधित है उसे छोड़कर, माध्यस्थम अधिनियम 1940 के प्रावधान और तत्समय प्रवृत्त तदधीन बनाए गए नियम, इस खंड के अधीन माध्यस्थम कार्यवाहियों पर लागू होंगे।"

15. करार के अनुसार, आवेदक ने 31/03/2012 (अनुलग्नक क/5) को अधीक्षण अभियंता के समक्ष विवाद उठाकर खंड 29 का आह्वान किया और कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। करार के खंड 29 के अनुसार, 27/06/2012 (अनुलग्नक क/6) को मुख्य अभियंता को अपील प्रस्तुत की गई, और जब दोनों प्राधिकारी करार के खंड 29 के अनुसार विवादों का विनिश्चय करने और उन्हें निराकृत करने में विफल रहे, तो 11/10/2012 (अनुलग्नक क/7) को माध्यस्थम बोर्ड के गठन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया, लेकिन न तो बोर्ड का गठन किया गया और न ही विवाद का निराकरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. इस प्रकार, करार के खंड 29 का इसके सही अक्षर और भावना में आह्वान किया गया है, और जब विवाद का निराकरण नहीं हुआ, तो यह आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पक्षकारों के मध्य विधिमान्य और प्रवर्तनीय करार है, जिसमें आवेदक एक पक्षकार है और अनावेदक माध्यस्थम बोर्ड की नियुक्ति के लिए आवेदक के अनुरोध पर कार्य करने में विफल रहा है और यह विचार करते हुए कि मध्यस्थीय विवाद संविदा करार से उत्पन्न हुआ है, इस न्यायालय का यह मत है कि पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति का मामला बनता है। इस प्रकार, इस बिंदु का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

निष्कर्ष:

17. परिणामस्वरूप, पक्षकारों की सहमति से, माननीय श्री न्यायमूर्ति एल.सी. भादू, पूर्व न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को विधि के अनुसार चारों माध्यस्थम आवेदनों में अंतर्वलित विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है।

18. परिणामस्वरूप, मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के अधीन सभी चारों माध्यस्थम आवेदन एतद्द्वारा ऊपर इंगित निबंधनों में स्वीकार किए जाते हैं।

19. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश को माननीय श्री न्यायमूर्ति एल.सी. भादू, पूर्व न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को संसूचित करे। पक्षकार मध्यस्थ की शुल्क और व्यय का भुगतान करेंगे। विद्वान मध्यस्थ माध्यस्थम के संचालन में तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

सही/-

संजय के. अग्रवाल

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By **Shaantam Patil**